

FORM OF ORDER SHEET
IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)
[Arbitration Case No.-197/2023]

Jai Prakash Sah.....Appellant

Versus

State of Bihar.....Respondents

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date
1	2	3	4
	25.8.2026	आदेश NHAI एवं राज्य उपस्थित। आवेदक अनुपस्थित हैं। उल्लेखनीय है कि आवेदक विगत 03 (तीन) तिथियों से सुनवाई में लगातार अनुपस्थित हैं। आज भी आवेदक द्वारा इस वाद में कोई पैरवी नहीं किया गया। प्रस्तुत वाद में आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद CWJC NO-1979/2017 में दिनांक- 23.08.2018 को पारित आदेश के संदर्भ इस न्यायालय द्वारा वाद सं0-92/2018 (अर्जून प्रसाद साह एवं अन्य बनाम संघ व राज्य) में दिनांक-21.08.2023 को पारित आदेश के आलोक में जिला-सुपौल, अंचल-राघोपुर, मौजा-सिमराही, थाना नं0-118, में NH-57 परियोजना अंतर्गत अधिग्रहित भूमि खाता सं0-89, 83 खेसरा सं0-1024 एवं 1025 के किस्म को व्यवसायिक श्रेणी में सम्परिवर्तन हेतु दायर किया गया है। विपक्षी (DLAO एवं NHAI) के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा दायर वाद कालबाधिक रहने के कारण पोषणीय नहीं है। NH Act-1956 की धारा 3A के तहत दिनांक-19.10.2005 को प्रकाशित अधिसूचना निर्गत होने के 21 दिनों के अन्दर NH Act-1956 की धारा 3C(1) के तहत आवेदक द्वारा आपत्ति आवेदन नहीं दिया गया। साथ ही धारा 3D के तहत दिनांक-18.08.2006 को प्रकाशित अधिघोषणा की तिथि से ही अधिग्रहित भूमि का हस्तांतरण किया जा चुका है। अंचल अधिकारी, राघोपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाशित अधिसूचना एवं अधिघोषणा तथा Six Men Committee के स्थल निरीक्षणोपरान्त समर्पित प्रतिवेदन में आवेदक के अधिग्रहित भूमि का किस्म आवासीय दर्ज है, जिसके लिए दिनांक- 27.11.2013 को नियमानुसार तैयार आवाड के अनुसार मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है। आवेदक द्वारा अपने दावा के समर्थन में वर्णित भूमि के सक्षम प्राधिकार से व्यवसायिक भूमि के श्रेणी में Conversion से संबंधित साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। तद्दालोक में विपक्षी (DLAO एवं NHAI) द्वारा उनकी ओर से दाखिल जवाब के आलोक में इस आर्बिट्रेशन वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा समर्पित दस्तावेजों तथा विपक्षी (DLAO एवं NHAI) द्वारा दाखिल जवाब व अभिलेखों के आलोक में आवेदक के भूमि के किस्म के अनुरूप देय मुआवजा राशि का भुगतान संगत नियमों के आलोक में किया गया है। फलस्वरूप प्रासंगिक मामले में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा घोषित अवाड उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः उपरोक्त के आलोक में इस आर्बिट्रेशन वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधितों को भेजे।  आयुक्त -सह-आर्बिट्रेटर, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित।  आयुक्त -सह-आर्बिट्रेटर, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

